झारखण्ड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु

पृष्ठभूमि

बिहार–झारखण्ड राज्य के विभाजन के पश्चात् भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 737 दिनांक 14.11.2000 द्वारा दोनों राज्यों के उभयनिष्ट योजनाओं के संचालन एवं सम्पोषण हेतु प्रशासनिक नियंत्रण बिहार को दिया गया। ये योजनाएँ निम्न प्रकार हैं : –**(अनुलग्नक–1)**

क. उत्तर कोयल जलाशय योजना

ख. बटाने जलाशय योजना

ग. तिलैया ढाढर अपसरण सिंचाई योजना

घ. अपर सकरी जलाशय योजना

ड. बरनार जलाशय योजना

च. चन्दन जलाशय योजना

छ. सुन्दर जलाशय योजना

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यह अंकित किया गया है कि "झारखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली जल संसाधन परियोजनाएँ, जिनका प्रबंधन मौजूदा बिहार राज्य द्वारा किया जा रहा है, का देखरेख नये बिहार राज्य के किसी भी क्षेत्र को कोई नुकसान पहुँचाएँ बिना मौजूदा व्यवस्था के अनुसार की जाती रहेगी। इस अधिसूचना में यह भी अंकित किया गया है कि जब तक गंगा सोन प्रबंधन बोर्ड का गठन नहीं हो जाता है तब तक यह आवश्यक है कि नये राज्यों को जलापूर्ति करने के लिए हेड–वर्क्स तथा नहर नेटवर्क के प्रशासन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखा जाय। उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में दोनों राज्यों के बीच सम्पन्न तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक / सचिव स्तरीय बैठक एवं मंत्री स्तरीय बैठकों में कतिपय निर्णय लिए गये जिसके अनुसार सुन्दर जलाशय योजना (जिसका अधिकांश भाग झारखड में है और बिहार राज्य के थोड़े हिस्से में इससे सिंचाई होती है) तथा चन्दन जलाशय योजना (जिसका हेड वर्क्स बिहार राज्य में है और बहुत थोड़ा मात्र जल से झारखण्ड राज्य में सिंचाई होती है) को उभयनिष्ट परियोजना की सूची से हटा लेने का निर्णय लिया गया और इन योजनाओं का सम्पोषण एवं संचालन उनका उन्हीं राज्यों द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया जिस राज्य में हेड वर्क्स पड़ता है क्योंकि ये दोनों योजनाएँ पूर्व से निर्मित थीं। बरनार जलाशय योजना एक निर्माणाधीन योजना थी, जिसका सम्पूर्ण भाग बिहार राज्य में ही था और संभवतः भूलवश उभयनिष्ट योजनाओं की सूची में आ गया था, जिसे उभयनिष्ट योजनाओं की सूची से हटा लिया गया। अपर सकरी जलाशय योजना का डूबक्षेत्र और हेड वर्क्स झारखण्ड राज्य में प्रस्तावित है तथा अधिकांश सिंचाई कमान क्षेत्र बिहार राज्य में है। चूँकि यह परियोजना प्रस्तावित ही है, इसलिए इसके कियान्वयान पर झारखण्ड राज्य द्वारा कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है, यद्यपि यह योजना बिहार राज्य के अति सूखाग्रस्त

क्षेत्र के लिए एक अति महत्वपूर्ण योजना है। तिलैया ढाढर अपसरण सिंचाई योजना में बराज बिहार राज्य में अवस्थित है, किंतु इसमें जल आपूर्ति झारखण्ड राज्य के तिलैया जलाशय से की जानी है। बिहार राज्य में अवस्थित इन योजना के बराज का कार्य पूरा हो चुका है, परंतु तिलैया जलाशय से वॉछित जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं हो सकने के कारण इस योजना का कमाण्ड क्षेत्र विकसित नहीं किया जा सका है। शेष बचे दो उभयनिष्ट योजनाएँ यथा उत्तर कोयल जलाशय योजना एवं बटाने जलाशय योजना के कियान्वयन के लिए जून 2006 में दोनों राज्यों के बीच MOU संपन्न हो गई है जिसके आधार पर इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। **(अनुलग्नक–2)**

बिहार–झारखण्ड के बीच जल संसाधन से संबंधित तकनीकी समस्याएँ

जैसा कि उपर में वर्णित है बिहार–झारखण्ड के उभयनिष्ट सात योजनाओं में से मात्र चार योजनाएँ यथा ***1. उत्तर कोयल जलाशय योजना, 2. बटाने जलाशय योजना, 3 तिलैया ढाढर अपसरण सिंचाई योजना,*** एवं ***4. अपर सकरी जलाशय योजना*** का कियान्वयन बिहार राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सोन नदी पर स्थित ***इन्द्रपुरी जलाशय योजना*** तथा मोहाने/फलगु नदी पर स्थित ***मोहाने जलाशय योजना*** का कियान्वयन बिहार के लिए महत्वपूर्ण योजना है।

उत्तर कोयल जलाशय योजना, बटेश्वरस्थान गंगा पंप नहर योजना एवं बटाने जलाशय योजना के कियान्वयन हेतु दोनों राज्यों के बीच सहमति ***(MOU)*** *हो चुकी है,* परंतु उपरोक्त वर्णित अन्य योजनाओं यथा – **तिलैया ढाढर अपसरण योजना** एवं **अपर सकरी जलाशय योजना** में झारखण्ड द्वारा लगभग असहमति दर्शायी जा रही है। विगत दिनों सम्पन्न सचिव स्तरीय एवं मंत्री स्तरीय कई बैठकों में इनके कियान्वयन हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए झारखण्ड से अनुरोध किया जाता रहा है परंतु अभी तक उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। यद्यपि कि बिहार राज्य के द्वारा इन योजनाओं के कियान्वयन हेतु संपूर्ण राशि वहन करने के साथ–साथ इन योजनाओं से होने वाले अन्य लाभ जैसे कि विद्युत उत्पादन एवं पेयजल आदि का लाभ झारखण्ड को दिये जाने का प्रस्ताव भी दिया गया है।

संयुक्त परियोजनाओं के कियान्वयन संबंधी निर्णय (Provisions in MOU)

संयुक्त परियोजनाओं के कियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बिहार–झारखण्ड के बीच सम्पन्न सचिव स्तरीय बैठकों में संयुक्त अवशेष कार्यों पर होनेवाले व्यय के हिस्सेदारी का सिद्धान्त तय किया गया जो देश में मानक सिद्धान्तों पर आधारित था। झारखण्ड सरकार द्वारा एक नीतिगत निर्णय सुझाया गया कि योजना का शीर्ष–कार्य जिस राज्य के क्षेत्र में पड़ेगा उसे उस राज्य के द्वारा उन कार्यों का कियान्वयन किया जायेगा। इस नीतिगत मामले पर बिहार सरकार द्वारा सूचित किया गया कि ऐसे संयुक्त परियोजनाओं के अवशेष कार्यों का कियान्वयन उस राज्य द्वारा किया जायगा जिस राज्य में कार्य अवस्थित होगा तथा समानुपाति व्यय का अंशदान संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार के राजपत्र सं0 737 दिनांक 14.11.2000 द्वारा अधिसूचित बिहार–झारखण्ड के 7 संयुक्त परियोजनाओं में से निम्नलिखित 2 योजना यथाः– (1) उत्तर कोयल जलाशय योजना (2) बटाने जलाशय योजना, के अतिरिक्त एक अन्य योजना बटेश्वरस्थान पम्प नहर योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई करने पर विचार किया गया।

बिहार–झारखण्ड के उपरोक्त 3 संयुक्त परियोजनाओं यथाः– उत्तर कोयल जलाशय योजना, बटाने जलाशय योजना, तथा बटेश्वर स्थान पम्प नहर योजना के कियान्वयन हेतु 5 अगस्त, 2005 को नई दिल्ली

में एक बैठक कर केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति के द्वारा एक एम0ओ0यू0 तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस समिति के द्वारा एक एम0ओ0यू0 तैयार कर दोनों राज्यों की सहमति (बिहार राज्य के मुख्य मंत्री) के पश्चात 26 जून, 2006 को एम0ओ0यू0 पर दोनों राज्यों के जल संसाधन सचिवों का हस्ताक्षर हुआ। **(अनुलग्नक–2)**

संक्षिप्त में योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :–

1 उत्तर कोयल जलाशय परियोजना

वर्ष 1998 में प्राप्त चतुर्थ पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 814.72 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध पूरी योजना पर मार्च 2016 तक 828.92 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार द्वारा मुख्य नहर में कई जगहों पर पूर्व से निर्मित संरचनाओं में छेड़छाड़ तथा बिना बिहार सरकार की सहमति के कुछ कार्य कराये जाने की सूचना मिली है। उत्तर कोयल परियोजना के DPR के अनुरुप ही कोई कार्य कराया जाना चाहिए।

उत्तर कोयल मुख्य नहर के झारखंड भाग में अवस्थित अनावश्यक आउटलेट्स अभी तक हटाये नहीं गये हैं एवं वि0दू0 103.00 पर लगभग 2800 क्सूयेक जल उपलब्ध नहीं हो रहा है । निर्णय हुआ कि झारखंड सरकार द्वारा अनावश्यक आउटलेट्स से जल की बर्बादी रोकने के लिये अविलम्ब कार्रवाई की जाय। अभी जो प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है उसके क्रियान्वयन के उपरान्त अनावश्यक आउटलेट्स स्वतः बन्द हो जायेगें ।

दिनांक 28/07/2015 को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न बिहार एवं झारखण्ड के संयुक्त परियोजना के संचालन पर आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दोनों राज्यों के कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल दाँया मुख्य नहर के अवैध आउटलेट को बन्द करने एवं आउटलेट के डिस्चार्ज को नियंत्रित करने संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

उत्तर कोयल मुख्य नहर के वि0दू0 0.00 से 103.00 तक का तल उड़ाही, संरचना एवं लाईनिंग मरमम्ती कार्य का प्राक्कलन मुख्य अभियंता, मेदनीनगर, झारखंड सरकार के द्वारा कुल रू0 53.00 करोड़ का उपलब्ध कराया गया है, जिसकी जॉच मुख्य अभियंता, औरंगाबाद के द्वारा किया जा रहा है।

इस संबंध में झारखण्ड सरकार से वार्ता की जा सकती है। मुख्य नहर से बिहार को सिंचाई हेतु वाँछित जलश्राव निर्वाध रुप से मिले, इस आ ाय का झारखण्ड सरकार से आ वासन प्राप्त किये जाने की आव यकता है।

उल्लेखनीय है कि योजना के Forest clearance हेतु झारखंड सरकार द्वारा ही पहल की जानी है। अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार कुल 4710 हेक्टर वन भूमि क्षेत्र प्रभावित है, जिसके क्षतिपूरक वनरोपण हेतु पलामू जिला में कुल 4546.56 हेक्टर भूमि की पहचान की गई है। बिहार सरकार द्वारा उत्तर कोयल परियोजनान्तर्गत मंडल डैम के डूब क्षेत्र में बेतला टाईगर रिजर्व की पड़ने वाली भूमि को डैम का FRL 4 मी0 घटाकर विभागीय पत्रांक यो0मो0–4–(अ0रा0)–01–14/2014–300–दिनांक 06–05–2015 द्वारा सहमति प्रदान की गई है, जिसके फलस्वरूप 5977.72 हेक्टेयर से घटकर 4709.70 हेक्टेयर मात्र डूब क्षेत्र रह जायेगा। तद्नुसार नई

परिस्थिति के आलोक में पर्यावरण एवं वन विभाग, भारत सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र झारखण्ड सरकार द्वारा प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में झारखंड सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है।

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना में मंडल स्थित डैम में गेट अधिस्थापन का कार्य लंबित है। गेट अधिस्थापित किये बिना डैम में जल संग्रहण संभव नहीं हे । जल संग्रहण के बाद ही इसके नहरों में पूर्ण अवधि के लिए वॉछित जलस्त्राव दिया जाना संभव हो पायेगा और यह योजना मात्र वर्षा आधारित नहीं रहेगी।

गेट अधिस्थापन से पूर्व पर्यावरण स्वच्छता वन एवं पर्यावरण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 3/89/80 बी0सी0टी0/इन0एस0 दिनांक 10.01.1984 द्वारा सशर्त्त पर्यावरण स्वीकृति की कंडिकाओं का अनुपालन आवश्यक है । सभी आठ शर्त्तें निम्नप्रकार हैः–

(1) जलग्रहण क्षेत्र का उपचार

(2) श्रमिकों के लिए जलावन की व्यवस्था

(3) बोरोपीट को भरकर समतलीकरण एवं लैंड स्केपिंग

(4) विस्थापितों के पुनर्वास

(5) जलाशय से प्रभावित वन के प्रतिपूरक वन रोपण (4710 हे0)

(6) जलाशय की परिधि पर वनभूमि में 500 मीटर की दूरी एवं गैर वनभूमि में 50 मीटर परिधि में हरित वनभूमि लगाना ।

(7) विशेष मोनिटरिंग समिति का गठन ।

(8) पलामू राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोर से कोयल नदी तक विस्तार के व्याध्र क्षेत्र से जो 13 गॉव प्रभावित होते हैं, उन गॉवों को दूसरे जगह पुनर्वासित करना ।

सम्पन्न समझौते के अनुसार क्रमांक 4, 5, 6, एवं 8 पर कार्रवाई, जो नितांत आवश्यक है, झारखंड राज्य द्वारा की जानी है तथा बिहार राज्य अपने हिस्से की राशि डिपोजिट वर्क के आधार पर उन्हें हस्तानान्तरित करेगा ।

झारखण्ड सरकार से अपेक्षा :–

योजना के अधूरे कार्य (डैम गेट का अधिश्ठापन) के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग भारत सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र झारखण्ड सरकार द्वारा प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

2 बटाने जलाशय योजना

इस योजना के अन्तर्गत झारखंड राज्य के पलामू जिला अन्तर्गत धोबीडीह ग्राम में बटाने नदी, जो पुनपुन नदी की एक सहायक नदी है, पर 6600 फीट लम्बा 55 फीट ऊॅचा डैम निर्मित है जिसमें स्पीलवे गेट का

अधिष्ठापन किया जाना बाकी है। इसके डाउन स्ट्रीम में लोदिया गॉव (झारखंड) में एक पिकअप बराज निर्मित है। बराज के पास दोनों तरफ मुख्य नहर प्रस्तावित है जिसकी विवरणी निम्नप्रकार हैः–

क्रमांक	नहर प्रणाली	लम्बाई (कि0मी0 में)			सिंचन क्षमता (हे0 में)		
		झारखंड	बिहार	कुल	झारखंड	बिहार	कुल
1	दॉया मुख्य नहर	13.08	17.19	31.27	1660	10466	
2	बॉया मुख्य नहर	6.4	23.49	29.89	पलामू जिला	औरंगाबाद जिला	12126

बॉया नहर प्रणाली, जो 96 % तक पूर्ण है, से सिंचन कार्य कराया जा रहा है जिससे खरीफ में 3500 हे0 तथा रब्बी में 385 हे0 क्षेत्र में सिंचाई दी जा रही है। इस योजना कु अद्यतन पुनरीक्षित प्राक्कलन (पंचम) रू0 203.64 करोड़ है। योजना पर मार्च 2016 तक अद्यतन व्यय 144.97 करोड़ रू0 है।

बटाने जाला ाय योजना का निर्माण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन, प्राक्कलित रा ि। 203.64 करोड़ रूपये की प्र ाासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक पी0एम0सी0–02–(टी0)(ए0)–04/2000–पार्ट–II-141 दिनांक 20–01–2015 द्वारा राज्य योजना मद से प्रदत्त है।

इस योजनान्तर्गत निर्मित स्पीलवे गेट जबरन उठाकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सील (Seal) कर दिया गया है जिसके कारण योजना से पटवन बुरी तरह प्रभावित हुई है। झारखंड सरकार से अपेक्षा है कि सील किए गए गेट को तुरंत खुलवाया जाय ताकि सिंचाई से बंचित क्षेत्र को सिंचन सुविधा प्रदान की जा सके ।

झारखण्ड भू–भाग का मूल अवशेष कार्य एवं निदान :

1 ***पुनर्वास की समस्या का निदान :***

इस हेतु बिहार द्वारा 300 लाख रुपया कर्णाकिंत रुप में झारखण्ड को मार्च 07 में दिया जा चुका है। अभी तक डैम का सील किया हुआ गेट को Operational नहीं किया जा सका है।

2 डैम में स्लूईस गेट का अधिश्ठापन।

3 दॉया मुख्य नहर का निर्माण :

सम्पूर्ण मुख्य नहर में आंशिक कार्य ही सम्पन्न है। झारखण्ड भू–भाग में बटाने बराज ये निःसृत दायां मुख्य नहर के अव ेश कार्यों को भीघ्र पूरा किया जाना अतिआव यक है। पूर्व में झारखण्ड सरकार को दिये गये रा ि। रु0 1529.215 लाख के अतिरिक्त रु0 1944.575 लाख का भुगतान झारखण्ड सरकार को फरवरी, 2016 में किया गया है।

झारखंड सरकार से संयुक्त अवशेष कार्यो के कार्यान्वयन हेतु शीघ्र कार्रवाई करन का अनुरोध किया जा सकता है।

3 बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजना

इस परियोजना का Headworks भागलपुर जिला के कहलगांव के पास शिवकुमारी पहाड़ के नजदीक गंगा नदी पर स्थित है। इस योजना का कार्यान्वयन 1979 में प्रारम्भ हुआ था तथा इसके अन्तर्गत गंगा नदी पर पम्पींग स्टेशन, डीलीभरी वैट तथा 47.32 कि0मी0 (155.20 आर०डी०) लम्बी उच्चस्तरीय नहर प्रस्तावित है। इस योजना का टी0 ए0 सी0 द्वारा 389.31 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृतिप पत्रांक 940 दिनांक 17/06/2008 में दी गयी थी।

इस योजना में **उच्चस्तरीय नहर का 0.0 आर०डी० से 47.10 आर०डी० तथा 150 आर०डी० से 155.20 आर०डी० तक बिहार राज्य में अवस्थित है तथा 47.10 आर०डी० से 150.00 आर०डी० तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित है। इस योजना से बिहार राज्य के भागलपुर जिला का 22328 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र (CCA) तथा झारखण्ड राज्य के गोडा जिला का 4887 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र (CCA) लाभान्वित होना प्रस्तावित है। यद्यपि कि यह योजना भारत सरकार द्वारा नम्बर 2000 में निर्गत अधिसूचना की उभयनिष्ठ परियोजनाओं की सूची में नहीं था, परन्तु यह योजना अर्न्तराज्यीय होने के कारण झारखण्ड सरकार से वार्ता कर इसके कार्यान्वयन पर सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया गया।** अन्ततोगत्वा बटेश्वरस्थान गंगा पंप नहर योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार झारखण्ड के बीच MOU पर दिनांक 26 जून 2006 को हस्ताक्षर हुआ है। परियोजना स्तर पर गठित संयुक्त तकनीकी समिति द्वारा अद्यतन प्राक्कलन तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है तथा वर्ष 2010 में इसके पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 389.31 करोड़ रूपये पर योजना आयोग द्वारा व्यय की स्वीकृति (Investment Clearance) दी गई है। तत्पश्चात इसे भारत सरकार के ए० आई० बी० पी0 कार्यक्रम के अर्न्गत स्वीकृत कर ली गई है। मार्च 2016 तक इस योजना पर 350.28 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है।

CWC से पुनरीक्षित DPR की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। इस हेतु बिहार राज्य एवं झारखण्ड राज्य द्वारा सभी आपत्तियों का निराकरण कर CWC को उपलब्ध करा दिया गया है। बिहार राज्य की ओर से श्री उदय भान सिंह, सहायक अभियंता सामंजस्य स्थापित करने हेतु मनोनित है।

कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, कहलगॉव के द्वारा नहर के लम्बाई का सत्यापन किया गया एवं पूर्व में गठित बिहार एवं झारखण्ड के अभियंताओं की समिति द्वारा सत्यापित नहर भाग को सही पाया गया।

इस योजना का कार्यान्वयन प्रगति में है तथा यह आवश्यक है कि दोनो राज्यों के बीच सहयोग से त्वरित कार्रवाई कर इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाना है।

4 तिलैया ढ़ाढर अपसरण योजना

तिलैया ढ़ाढ़र अपसरण योजना का सूत्रीकरण वर्ष 1978 में हुए बिहार--बंगाल एकरारनामा के कंडिका सं0 1A(i), 1B, 1E(ii), 1F(iv) के अन्तर्गत किया गया है, जिसमें ढ़ाढर नदी के अपने 40,000 एकड़ फीट जलश्राव

के साथ–साथ झारखंड राज्य स्थित बराकर नदी घाटी में दामोदर घाटी निगम द्वारा निर्मित तिलैया जलाशय से 2,00,000 एकड़ फीट पानी को एक टनेल के द्वारा हरोहर नदी घाटी के ढ़ाढर नदी में गिरा कर एवं झारखंड में एक बैलेसिंग जलाशय (54000 एकड़ फीट) निर्माण कर, 5760 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत उत्पादन (12 मेगावाट), तथा **बिहार राज्य के सोहजना ग्राम के नजदीक पिकअप बराज से निसृत 16 कि0मी0 लम्बी वांयी एवं 9.7 कि0मी0 लम्बी दांयी मुख्य नहर के माध्यम से 31700 हेक्टेयर में सिंचाई–सुविधा** उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के लिए 220.1134 करोड़ रुपये (SOR 1998) पर योजना आयोग के तकनीकी सलाहकार समिति की सशर्त्त स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें मुख्य शर्त्त बिहार–बंगाल एकरारनामा, 1978 के संबंधित प्रावधानों को लागू किया जाना है। **योजना प्रतिवेदन के अनुसार कुल 18.97 हेक्टर वन भूमि क्षेत्र प्रभावित है।**

अक्तूबर 1998 में इस योजना की 301.79 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई, तथा उसी वर्ष 1998 में सोहजना बराज का निर्माण प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 2001 तक योजना के अधिकांश सिविल कार्य पूरे कराए जा चुके थे। **स्पस्टतः राज्य पुनर्गठन के पूर्व से हीं कार्य चल रहा है और 154.366 करोड़ राशि भी व्यय की जा चुकी है, किन्तु, राज्य पुनगर्ठन के उपरान्त झारखंड सरकार द्वारा कहा गया किं तिलैया जलाशय का 2,00,000 एकड़ फीट जल ढ़ाढ़र नदी में गिराने के पक्ष में नहीं है, वल्कि उस जल का झारखण्ड में हीं अन्यत्र उपयोग की सम्भावना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए CES को परामर्शी नियुक्त किया गया।** CES के परामर्श के आलोक में झारखण्ड में प्रस्तावित तिलैया ताप विद्युत परियोजना हेतु तिलैया जलाशय के 150 क्यूसेक (108570 एकड़ फीट) जल के उपयोग का प्रस्ताव दिया गया।

तदोपरान्त, अप्रील–मई 2007 में दामोदर नदी घाटी में तिलैया जलाशय के 150 क्यूसेक (1.0857 लाख एकड़ फीट) जल का झारखण्ड में प्रस्तावित तिलैया ताप विद्युत परियोजना में उपयोग के संबंध में नई दिल्ली में दामोदर नदी घाटी जलाशय संचालन समिति की 115वीं बैठक सम्पन्न हुई है। बैठक में यह पक्ष रखा गया कि वर्ष *1978 के एकरारनामें के अन्तर्गत* इस प्रदत्त अधिकार के अनुसार बिहार तिलैया जलाशय के जल का हकदार और दावेदार है, अतः इस जल के अन्यत्र उपयोग की योजना सर्वथा अनुचित है। चुकिं यह योजना तिलैया जलाशय से 2 लाख एकड़ फीट जल उपलब्धता पर आधारित है तथा बिहार स्थित योजना के बराज अवयव का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। DVRRC के 132वीं एवं 133वीं बैठक में भी बिहार का पक्ष कमिटि के समक्ष रखा गया। कमिटि ने सुझाव दिया कि बिहार एवं झारखण्ड आपसी वार्ता से दोनों राज्यों के हित को ध्यान में रखते हुए विवाद का हल निकाल ले।

अतः झारखंड सरकार तिलैया जलाशय से *2,00,000 एकड़ फीट जल हेतु* Conductor system (5.1 KM long Tunnel & 6.1 KM long Open Channel) *के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना चाहेगी। बिहार इसके बदले में प्रतिपूर्ति करने को तैयार है। झारखंड सरकार इस पर पुनर्विचार करना चाहेगी।*

वर्त्तमान में मात्र ढ़ाढ़र नदी में उपलब्ध 40000 एकड़ फीट जल के उपयोग हेतु तिलैया ढ़ाढ़ार अपसरण योजना एक **ट्रंकेटेड योजना** के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। ट्रंकेटेड योजना के अन्तर्गत सोहजना बराज के वायीं ओर से निसृत **वायीं मुख्य नहर** के 16 कि० मी० में से मात्र 3.12 किलोमीटर तक, इससे निसृत रामपुर शाखा नहर एवं वितरण प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है जिससे बिहार में **31700 हेक्टेयर के बदले अभी मात्र 6900 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा** उपलब्ध होगी।

5 अपर सकरी जलाशय योजना (हरोहर बेसिन)

वर्ष 2004 में अपर सकरी योजना को संयुक्त सूची से हटाने का निर्णय हो चुका है। सकरी नदी पर बकसोती बराज योजना एवं नाटा नदी पर अवस्थित नाटा वियर के स्थान पर बराज बनाकर सकरी नदी को नाटा नदी से जोड़े जाने की योजना का DPR केन्द्रीय जल आयोग में स्वीकृति हेतु समर्पित है। अतः इसे विचारणीय बिन्दु से Drop किया जा सकता है। **(अनुलग्नक–3)**

6 इन्द्रपुरी जलाशय योजना

वाणसागर एकरारनामा के तहत बिहार के हिस्से के जल का उपयोग पूर्ण रूप से करने हेतु एवं बिहार के सोन कमान्ड क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान करने, तथा 450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हेतु प्रस्तावित इन्द्रपुरी जलाशय बिहार–झारखंड सीमा पर अवस्थित सोन नदी पर निर्माणाधीन बॉध स्थल का बायॉ तट बिहार के रोहतास जिले में तथा दाहिना तट झारखंड के गढवा जिले में है/.

इस योजना के डूब क्षेत्र में बिहार राज्य के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले क्षेत्र और बाद में राज्य पुनर्गठन के फलस्वरुप झारखण्ड राज्य में पड़ने वाले क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि इस योजना से उत्तर प्रदेश और झारखंड को इस योजना से सिंचाई का कोई लाभ नहीं है। इस योजना के कार्यन्वयन हेतु उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड राज्य के सहमति आवश्यक है।

इस योजना की स्वीकृति हेतु बिहार राज्य सरकार द्वारा पिछले कई वर्शो से संबंधित राज्यों के साथ आम सहमति प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । इसी क्रम में दिनांक 5–2–2016 को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बैठक में प्रस्तावित इन्द्रपुरी जलाशय का FRL-171.0 **मी0 एवं** MWL **171. 0 मी0 रखने की मॉग बिहार सरकार द्वारा की गयी किन्तु उत्तर प्रदे I सरकार की सहमति** FRL **169.0 मी0 एवं** MWL **171.0 मी0 पर सहमति जताई है । तदनुसार केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा** FRL **169.0 मी0 एवं** MWL **171.0 मी0 रखते हुए योजना का डी0पी0आर0 नये सिरे से तैयार करने के लिए कहा गया । इस बैठक में झारखंड सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा इस योजना का** DPR **तैयार करने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।**

7 बिहार झारखण्ड के बीच अन्तर्राज्यीय एकरारनामे के तहत् पूर्ववर्त्ती बिहार को प्राप्त जल का बॅटवारा

पूर्व में बिहार झारखण्ड के बीच 3–4 सचिव स्तरीय बैठकें हुई थी। सचिव स्तरीय बैठक के निर्णयानुसार बिहार–झारखण्ड के बीच अंतर्राज्यीय एकरारनामों के तहत पूववर्ती बिहार को प्राप्त जल का बंटवारा के अध्ययन हेतु एक संयुक्त तकनीकी दल का गठन हुआ था । संयुक्त तकनीकी दल की चार बैठकें हुई थी, तत्पश्चात तकनीकी दल के प्रतिवेदन को अंतिम रुप दिया गया था, जिसमें **जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। बिहार सरकार द्वारा तकनीकी दल के प्रतिवेदन की स्वच्छ प्रति वर्ष 2004 में हीं झारखण्ड के सदस्यों के हस्ताक्षरार्थ भेजी गई थी, जो आज तक वापस नहीं लौटी।** इस संबंध में पिछली बैठक में

झारखण्ड सरकार के सचिव ने कहा था कि वे इसका अध्ययन करके इस पर अपनी प्रतिकिया शीघ्र सूचित करेगें, परन्तु अभी तक सूचना अप्राप्त है।

अन्य तकनीकी समस्याएँ (*proposed schemes*)

8 झारखंड से बिहार में आने बाली नदियों के दोनों राज्यों के हित हेतु जल संसाधन विकास के लिये सहयोग

झारखंड से बिहार में आने वाली नदियों से दोनों राज्यों के हित हेतु फिलहाल निम्नलिखित सिंचाई योजना प्रस्तावित है:–

(क) पुनासी जलाशय योजना :– विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं MOU का प्रस्ताव झारखंड राज्य द्वारा बिहार को दिनांक 10.08.2014 तक उपलब्ध कराने पर निर्णय हुआ ।

अभी तक प्रस्ताव झारखंड राज्य से बिहार को अप्राप्त है।

(ख) बतरे जलाशय योजना :– विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं MOU का प्रस्ताव झारखंड राज्य के द्वारा बिहार को उपलब्ध कराना था। झारखण्ड से अनौपचारिक MOU का ड्राफ्ट बिहार को उपलब्ध कराना था। झारखण्ड सरकार से औपचारिक सहमति युक्त MOU प्राप्त होने के पश्चात् बिहार द्वारा विचार किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार से औपचारिक सहमति युक्त MOU का प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है। MOU की मॉग झारखण्ड सरकार से पत्रांक–पी0एम0सी0–03–(टी)(ए0)–02/2007–पार्ट–II-1897 दिनांक 29/12/2015 द्वारा की गई है।

(ग) मुहाने जलाशय योजना :– इस योजना के अन्तर्गत बिहार द्वारा के निर्माण पर झारखण्ड सरकार द्वारा कहा गया कि PFR सहित प्रस्ताव झारखण्ड सरकार को भेज दिया जाय, ताकि समीक्षा के पश्चात् औपचारिक सहमति हेतु विचार किया जा सके।

बाराण्डी बराज योजना CWC में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। इस योजना प्रतिवेदन पर CWC द्वारा की गई आपतियों का निराकरण हेतु एक परामर्शी की नियुक्ति करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) धनारजै जलाशय एवं फुलवरिया जलाशय को लिंक करने की योजना के तहत धनारजै नदी पर प्रस्तावित डैम (परामर्शी मेसर्स अल्गोरिद्म कन्सलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) प्रा0 लि0)

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के द्वारा नदी जोड़ योजना के तहत् ''धनारजे जला ाय योजना के निमार्ण एवं फुलवरिया जला ाय को लिंक करने की योजना'' का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के कम में कराये गये सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि धनारजे नदी पर डैम के निर्माण के प चात् ***झारखण्ड राज्य के क्षेत्र भी प्रभावित*** हो सकते हैं। संभावित प्रभाव का बिन्दुवार आकलन योजना के प्रारूप विस्तृत योजना प्रतिवेदन के अनुसार निम्नवत् है–

डैम का स्थान – ग्राम–**गढ़ देबौर** डैम की लम्बाई– 1177 मी0

प्रखण्ड– रजौली, जिला– नवादा डैम का प्रकार–मिट्टी का बांध

कमाक	विवरण	कुल	बिहार	झारखण्ड
1	डूब क्षेत्र	464.28 हे0	217.28 हे0	247 हे0
2	प्रभावित क्षेत्र	152.41 हे0	51.02 हे0	101.39 हे0
3	प्रभावित गोंवों की संख्या	8	3	5
4	विस्थापितों की संख्या	9462	6184	3278
5	खेती योग्य एवं आवास योग्य भूमि	39.10 हे0	18.5 हे0	20.60 हे0
6	प्रभाावित वन रहित क्षेत्र	312.87 हे0	66.22 हे0	146.65 हे0

इसके अलावे झारखण्ड राज्य के मेघावरी ग्राम में 2 मंदिर, एक मस्जिद, एक सप्ताहिक बाजार डुब क्षेत्र में आने की संभावना है तथा सरकारी भवनों में एक अस्पताल, एक पोस्ट ऑफिस तथा एक वन विभाग का आरामगृह भी प्रभावित होगा।

उक्त तथ्यों पर योजना के विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने से पहले झारखण्ड राज्य की सहमति अपेक्षित है।

दिनांकः 1–7–2014 के सचिव स्तरीय बैठकों में यह सहमति बनी थी कि इस योजना को जलाशय योजना के बदले अपसरण योजना बनाया जाय । इस हेतु बिहार झारखंड के अभियंताओं की एक संयुक्त तकनीकी समिति बनाने का निर्णय हुआ था । बिहार के द्वारा तकनीकी समिति बनाकर झारखंड को संसूचित कर दिया गया है, परन्तु झारखंड सरकार के द्वारा अभी तक संयुक्त तकनीकी समीति बनाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।